

**Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Railways / Rail Mantralaya
(Railway Board)**

**PC-VI No.271/11
RBE No. 118/11**

No.F(E)I/2011/AL-28/26

New Delhi, dated 01.09.2011.

The General Managers,
All Indian railways etc.
(as per standard mailing list)

Sub: Travelling allowance rules - Journey on Transfer/Retirement.

In terms of Board's letter No.E(W)2004 PS 5-9/1 dated 01.08.2011, personal effects up to the specified weight limits and/or conveyance up to the prescribed scale/rates as prescribed under Board's letter No. E(W)2004 PS 5-9/1 dated 17.06.2009 may be permitted to be transported by road on reimbursement basis in lieu of Kit Pass to the place of posting on transfer/place of settlement after retirement. Reimbursement on account of transportation of personal effects/conveyance would be regulated as under:-

I. Transportation of Conveyance on Transfer/settlement after retirement:

WHEN CONVEYANCE IS SENT UNDER ITS OWN PROPULSION

Between places connected by rail	Between places not connected by rail
Prescribed rates limited to expenditure on transportation by passenger train on rail.	Prescribed rates.*

WHEN CONVEYANCE IS SENT LOADED ON A TRUCK

Between places connected by rail	Between places not connected by rail
Actual expenses limited to prescribed rates or expenditure on transportation by passenger train on rail, whichever is less	Actual expenses limited to prescribed rates.*

*Prescribed rates means, the rates notified by the concerned Directorate of Transport, for taxi and auto rickshaw, at the starting point, subject to a maximum of Rs.20/- for taxi and Rs.10/- for auto rickshaw as prescribed/revised vide Board's letter of even number dated 1.12.2008 and No.F(E)I/2011/AL-28/18 dated 13.06.2011.

Contd.2/....

II. Transportation of Personal effects on Transfer/settlement after retirement:


(1) **Between places connected by rail** -

(i) If the transportation of personal effects is made by rail	Rates prescribed in terms of Board's letter number F(E)I/2008/AL28/15 dated 29.12.2010 and revised vide Board's letter No.F(E)I/2011/AL-28/18 dated 13.06.2011 would be applicable for transportation of personal effects by Road from the place of residence to the Railway Station at the old headquarters and from Railway Station to the place of residence at the new headquarters.
(ii) If the transportation of personal effects is made by road	Reimbursement of actual expenditure by road limited to presumptive railway freight.

(2) **Between places not connected by rail** -

The rates of transportation of personal effects by road between places not connected by rail would be the rates as prescribed in terms of Board's letter number F(E)I/2008/AL28/15 dated 29.12.2010 and revised vide Board's letter No.F(E)I/2011/AL-28/18 dated 13.06.2011.

2. Hindi version will follow.
3. Please acknowledge receipt.


(SONALI CHATURVEDI)
Dy. Director Finance (Estt)
Railway Board.

No.F(E)I/2011/AL-28/26

New Delhi, dated 01.09.2011.


Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).


For Financial Commissioner/Railways.

No.F(E)I/2011/AL-28/26

New Delhi, dated 01.09.2011.

Copy forwarded to FA&CAO, All Indian Railways, Production Units etc.


(SONALI CHATURVEDI)
Dy. Director Finance (Estt)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

PC-VI No. 271/11
आरबीई सं. 118/11

सं. एफ (ई)I/2011/एएल-28/26

नई दिल्ली, दिनांक: 01.09.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: यात्रा भत्ता नियम - स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के मामले में यात्रा।

बोर्ड के दिनांक 01.08.2011 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2004 पीएस 5-9/1 के अनुसार, बोर्ड के दिनांक 17.06.2009 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2004 पीएस 5-9/1 के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्दिष्ट भार सीमा तक निजी घरेलू सामान और/अथवा निर्धारित स्केल/दरों पर वाहन की ढुलाई की अनुमति, स्थानांतरण के मामले में तैनाती के स्थान/सेवानिवृत्ति के मामले में सैटलमेंट के स्थान तक किट पास के बदले में प्रतिपूर्ति के आधार पर सड़क द्वारा दी गई है। निजी घरेलू सामान/वाहन की ढुलाई के संबंध में प्रतिपूर्ति निम्नानुसार विनियमित होगी:-

I. स्थानांतरण पर/सेवानिवृत्ति के बाद सैटलमेंट पर वाहन की ढुलाई:

जब वाहन स्वयं चलाकर ले जाया जाता है

रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच	रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच*
रेल यात्री गाड़ी द्वारा ढुलाई किए जाने पर होने वाले व्यय की निर्धारित दरों की सीमा तक	निर्धारित दरें*

जब वाहन ट्रक पर लदान करके भेजा जाता है

रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच	रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच*
निर्धारित दरों के तहत वास्तविक खर्च अथवा रेल यात्री गाड़ी द्वारा ढुलाई पर होने वाला खर्च, जो भी कम हो।	निर्धारित दरों के तहत वास्तविक खर्च।*

*निर्धारित दरों का अभिप्राय प्रारंभिक स्थान पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए संबंधित परिवहन निदेशालय द्वारा अधिसूचित दरों से है, परंतु यह बोर्ड के दिनांक 01.12.2008 के

समसंख्यक पत्र और दिनांक 13.06.2011 के पत्र सं. एफ(ई)I/2011/एएल-28/18 के तहत निर्धारित/संशोधित किए गए अनुसार टैक्सी के लिए ₹ 20/- और ऑटो रिक्शा के लिए ₹ 10/- की अधिकतम दर होगी।

II. स्थानांतरण के मामले में/सेवानिवृत्ति के बाद सैटलमेंट पर निजी घरेलू सामान की ढुलाई:

(1) रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच-

(i) यदि निजी घरेलू सामान की ढुलाई रेल द्वारा की जाती है।	बोर्ड के दिनांक 29.12.2010 के पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15 के अनुसार निर्धारित दरें और बोर्ड के 13.06.2011 के पत्र सं. एफ(ई)I/2011/एएल-28/18 के तहत संशोधित की गई दरें पुराने मुख्यालय के निवास स्थान से रेलवे स्टेशन तक और नए मुख्यालय के रेलवे स्टेशन से निवास स्थान तक सड़क द्वारा निजी घरेलू सामान की ढुलाई के लिए लागू होंगी।
(ii) यदि निजी घरेलू सामान की ढुलाई सड़क द्वारा की जाती है।	सड़क द्वारा होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति रेलवे के अनुमानित माल-भाड़ा तक सीमित होगी।

(2) रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच-

रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच सड़क द्वारा निजी घरेलू सामान की ढुलाई की दरें बोर्ड के दिनांक 29.12.2010 के पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15 के अनुसार यथा निर्धारित व बोर्ड के दिनांक 13.06.2011 के पत्र सं. एफ(ई)I/2011/एएल-28/18 के तहत संशोधित दरें होंगी।

2. कृपया पावती दें।

सोनाली चतुर्वेदी

(सोनाली चतुर्वेदी)

उप निदेशक, वित्त स्थापना
रेलवे बोर्ड